भारत निर्माण सेवक

पंचायतीराज व्यवस्था एवं ग्राम सभा

-एक संक्षिप्त परिचय

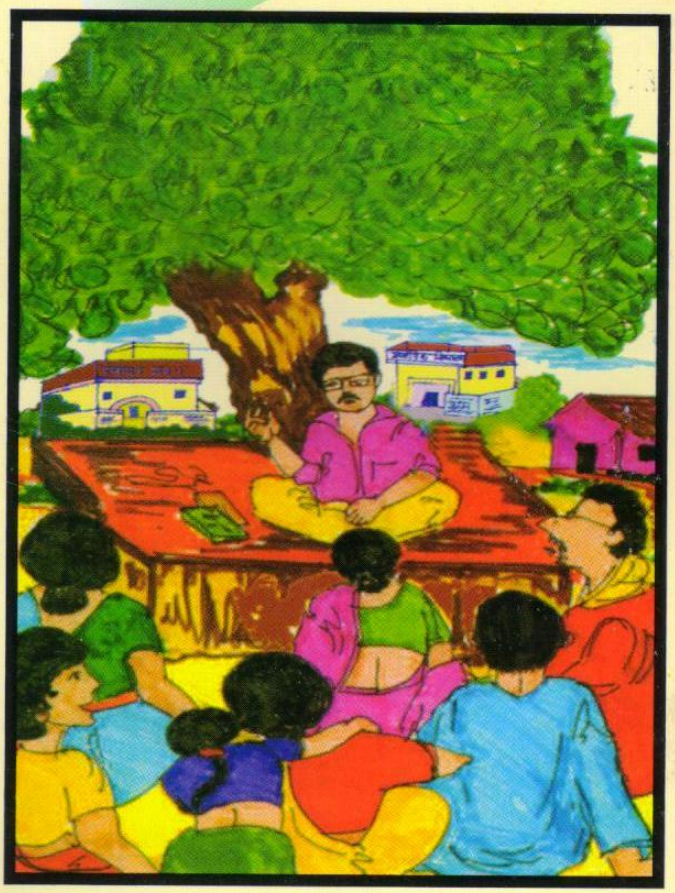

दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, उ0 प्र0

लखनऊ - 226202

मेरा दायित्व

समुदाय से निरन्तर सम्पर्क करना।

समुदाय को प्रोत्साहित करना।

समुदाय का सहयोग करना।

आँख, कान की भूमिका निभाना।

समुदाय तथा विभागों के मध्य समन्वय स्थापित करना।

संरक्षण एवं मार्गनिर्देशन

एन.एस. रवि
आई.ए.एस.
महानिदेशक

सम्पादक

डा. ओ0पी0 पाण्डेय
संयुक्त निदेशक

संकलन एवं प्रस्तुतीकरण

- डॉ. राज किशोर
- नवीन चन्द्र अवस्थी
- डॉ. ओमेन्द्र कुमार यादव
- शिव भगवान
- सुमन पाण्डेय
- मुद्रिका शर्मा

अन्य सहयोगी

- माला पाण्डेय
- अनुज कुमार दुबे
- राजेन्द्र कुमार

प्रथम संशोधित संस्करण

©एस.आई.आर.डी.यू.पी. वर्षः 2015

एन.एस.रवि
आई.ए.एस.

महानिदेशक
राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, उ.प्र.
लखनऊ–226202

संदेश

ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि लाने के उद्देश्य से ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भारत निर्माण सेवकों को गतिशील करने का कार्य उत्तर प्रदेश में प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है।

ये सेवक ग्रामीण विकास, पंचायतीराज तथा समस्त लाइन डिर्पाटमेन्ट की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में योजना नियोजन, क्रियान्वयन, अनुसरण आदि में परामर्शदाता/प्रेरक/ सुविधादाता के रूप में निःशुल्क अपना योगदान एवं सेवा प्रदान करेंगे। ग्रामीण समुदाय से ही चयनित ये सेवक विभिन्न लाभकारी योजनाओं एवं लाभार्थियों के मध्य एक मजबूत कड़ी का काम करते हुए कार्यक्रमों एवं योजनाओं से संबंधित सूचनाओं को आम– जनमानस तक पहुँचायेंगे।

इन सेवकों तथा ग्रामीण समुदाय को इस योजना के विषय में सरल एवं स्पष्ट जानकारी देने के उद्देश्य से संस्थान के डॉ0 ओ0 पी0 पाण्डेय, संयुक्त निदेशक व उनकी टीम द्वारा विभिन्न स्रोतो से संकलित कर यह संदर्भ साहित्य विकसित करने का सराहनीय प्रयास किया गया है। आशा है विभिन्न विकास योजनाओं एवं कल्याणकारी कार्यक्रमों का लाभ लाभार्थियों तक पहुंचाने में भारत निर्माण सेवकों की क्षमता विकास के लिए यह अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगा।

एन.एस.रवि
महानिदेशक

73वां संशोधन अधिनियम पंचायतों को स्वशासन की संस्थाओं के रूप में काम करने हेतु आवश्यक शक्तियां और अधिकार प्रदान करने के लिए राज्य सरकार को अधिकार प्रदान करता है। ये शक्तियां और अधिकार इस प्रकार हो सकते हैं:–

- संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्व 29 विषयों के संबंध में आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करना और उनका निष्पादन करना।
- कर, डयूटीज, टोल टैक्स, शुल्क आदि लगाने और उसे वसूल करने का पंचायतों को अधिकार।
- राज्यों द्वारा एकत्र करों, ड्यूटियों, टोल टैक्स और शुल्कों का पंचायतों को हस्तांतरण।

पंचायतों की संरचना

संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम, 1992 द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान निम्नानुसार किया गया है :–

त्रिस्तरीय पंचायती राज की संरचना

स्तर	संरचना	मुख्य पदाधिकारी	संघीय सहयोगी
ग्राम स्तर	ग्राम पंचायत	प्रधान	ग्रा0पं0 वार्ड सदस्य
खण्ड (ब्लाक) स्तर	क्षेत्र पंचायत	प्रमुख	क्षे.पं. सदस्य
जिला स्तर	जिला पंचायत	अध्यक्ष	जि.पं. सदस्य

ग्राम सभा

ग्राम सभा

किसी ग्राम या ग्राम समूह के लिए राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायत स्थापित की जाती है। ग्राम सभा में राज्य निर्वाचन आयोग (पंचायत एवं स्थानीय निकाय) द्वारा तैयार पंचायत क्षेत्र की वोटर लिस्ट में सभी लोग सदस्य होते हैं। जहाँ एक से अधिक ग्राम इसमें शामिल है, वहाँ सबसे अधिक आबादी वाले ग्राम के नाम पर ग्राम पंचायत का नाम रखा जाता है। ग्राम पंचायत में 1000 या उससे अधिक की जनसंख्या होना आवश्यक है।

अनुच्छेद 242 (बी) के अनुसार

ग्राम सभा किसी एक गांव या पंचायत का चुनाव करने वाले गावों के समूह की मतदाता सूची में शामिल व्यक्तियों से मिलकर बनी संस्था है। ग्राम सभा की शक्तियों और दायित्वों को अनुच्छेद 243**(ए)** में दिया गया है।

उददेश्य

- ग्राम सभा के आयोजन का उददेश्य, ग्राम सभा के सदस्यों को उनके अधिकारों और शक्तियों से अवगत कराना है ताकि जन भागीदारी सुनिश्चित हो और विशेषकर महिलाओं तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के लोग भाग ले सकें। साथ ही ग्राम स्तर पर जन–विकास के कार्यों और उनके रख–रखाव की योजना बनाने का कार्य किया जा सकें।
- ग्राम स्तर पर लोगों का कल्याण सुनिश्चित करना, इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, समुदाय भाई–चारा, विशेषकर जेन्डर और जाति–आधारित भेदभाव के संबंध में सामाजिक न्याय, झगड़ों का निबटारा, बच्चों का विशेषकर बालिकाओं का कल्याण जैसे–मुद्दे शामिल किये जा सके।
- 73वें संविधान संशोधन में जमीनी स्तर पर जन–संसद के रूप में ऐसी सशक्त ग्राम सभा की परिकल्पना की गई है जिसके प्रति ग्राम पंचायत जवाबदेह हो।

ग्राम सभा आयोजन की प्रक्रिया

- ग्राम सभा गांव के लोगों की सामूहिक बैठक होती है।
- ग्राम सभा के आयोजन की तिथि, दिन और समय ग्रामीणों को पहले से बतायी जाती हैं।
- ग्राम सभा के आयोजन की सूचना लोगों को विभिन्न माध्यमों से दी जाती है ताकि वे अधिक से अधिक संख्या में इसमें पहुंच सके।
- कार्यक्रम की शुरूआत आधे घण्टे के खुले अधिवेशन से शुरू होती है, जिसके अन्तर्गत ग्राम सभा की भूमिका के बारे में शासकीय कार्मिकों/प्रेरकों इत्यादि द्वारा बताया जाता है।
- इसके उपरान्त, लोगों के विभिन्न समूह गठित किये जाते हैं और उन्हें अलग–अलग क्षेत्र के बारे में विचार–विमर्श करने के लिये कहा जाता है।
- लोगों के कल्याण की योजनाओं का निर्माण, उनकी समस्यायें एवं उनका निराकरण इन्हीं खुली आम बैठकों से किया जाता है।
- इन्हीं बैठकों में ग्रामीणों की मुख्य समस्याओं का पता चलता है तथा उनकी जरूरतों का पता चलता है।
- खुले अधिवेशन की समाप्ति पर बैठक के बिन्दुओं को लिखित में नोट किया

जाता है जिसके द्वारा विभिन्न विकास कार्यक्रमों को बनाया जाता है।

- ग्राम सभा बैठकों का विचार–विमर्श एक दिन का होता है, तथापि यदि आवश्यक हो तो यह विचार – विमर्श अगले दिन के लिये भी हो सकता है।
- क्षेत्रवार विचार विमर्श –यथा उत्पादकीय क्षेत्र, सेवा क्षेत्र तथा आधारभूत ढांचा विकास क्षेत्र पर परिचर्चा होती है।

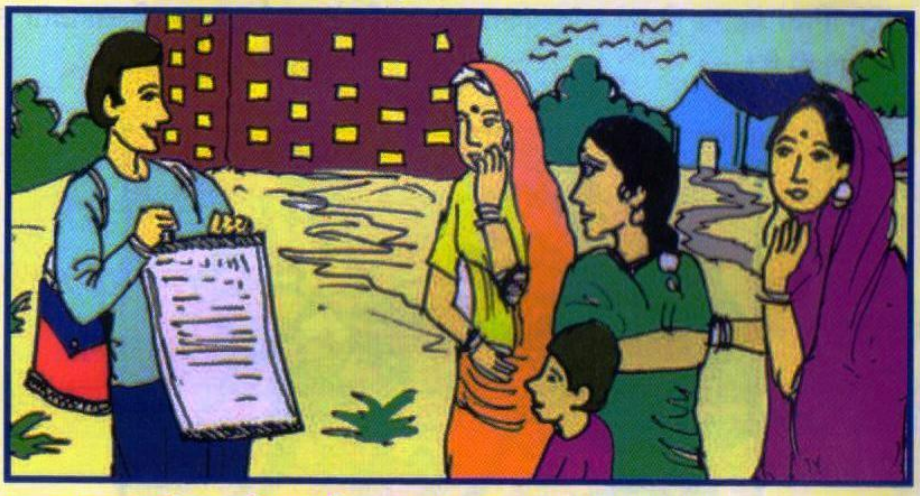

ग्राम सभा के आयोजन हेतु स्थल, समय एवं स्थान

ग्राम पंचायत के परिक्षेत्र में, जहां सबको सुविधा हो और सब एकत्र हो सके, साथ बैठ सके, वहां ग्राम सभा होगी। यदि एक ग्राम पंचायत में कई गांव हैं तो बारी–बारी से प्रत्येक गांव में ग्राम सभा का आयोजन होगा। ग्राम सभा दिन के किसी भी समय हो सकती है यथा–सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के पहले।

ग्राम सभा आयोजित कौन करेगा

ग्राम सभा का आयोजन पंचायत सचिव को करना चाहिए। ग्राम पंचायत प्रधान को ग्राम सभा की बैठक का आयोजन करवाना होगा। जब ग्राम सभा के 10 प्रतिशत व्यक्ति अथवा 50 व्यक्ति (जो ज्यादा हो) ग्राम सभा के आयोजन के लिये अपनी अर्जी दें, परन्तु उन्हें ग्राम सभा बैठक के आयोजन का उददेश्य बताना होगा तब ग्राम सभा आयोजित की जा सकती है।

एक लिखित प्रार्थनापत्र सरपंच को ग्राम सभा आयोजन हेतु 5 दिवस पूर्व कार्यालय समय के दौरान दी जा सकती है। यदि सरपंच सभा का आयोजन नहीं करवा पाते हैं तो सदस्यगण स्वयं ग्राम सभा का आयोजन कर सकते हैं।

गांव का विकास, तभी हो साकार।
जब ग्राम सभा में, सब हो भागीदार।।

ग्राम सभा का प्रचार

परम्परागत तरीकों के अतिरिक्त, ग्राम सभा के प्रचार के निम्न तरीके भी अपनाये जा सकते हैं ताकि अधिक से अधिक संख्या में लोग प्रतिभाग करें, जैसे–

- दीवार लेखन
- घर–घर जाकर प्रचार
- कार्यकमों के जरिये
- डुगडुगी बजाकर
- प्रिन्ट मीडिया के जरिये
- आम जनमानस को जगह–जगह सम्बोधित करके आदि

ग्राम सभा के कार्य

ग्राम सभा अपनी बैठक में निम्नांकित विषयों पर विचार करेगी और उन पर ग्राम पंचायत को सुझाव दे सकती है।

- ग्राम पंचायत के खातों का वार्षिक विवरण, पिछले वित्तीय वर्ष की प्रशासनिक रिपोर्ट, पिछले आडिट की टिप्पणी तथा उसका परिपालन।
- पिछले वित्तीय वर्ष में किये गये विकास कार्यो तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष में जो कार्य किये जाने हैं, उनकी रिपोर्ट।
- समाज के सभी वर्गो में मेल–जोल व एकता बढ़ाना।
- प्रौढ़–शिक्षा का कार्यकम।
- अन्य मामले जो पहले से तय हो (जैसे परिवार कल्याण, पर्यावरण सुधार, टीकाकरण आदि)

ग्राम पंचायत

एक हजार की आबादी पर ग्राम/ग्रामों के समूह के क्षेत्र को राज्य सरकार पंचायत क्षेत्र घोषित कर सकती है। पंचायत क्षेत्र के नाम पर एक ग्राम पंचायत क्षेत्र की स्थापना होती है।प्रधान तथा दो तिहाई सदस्यों के चुनाव होने पर ही पंचायत का संगठन घोषित किया जाता है।

गांव वालों को जगाना है,
ग्राम सभा के कोरम को बढ़ाना हैं।

ग्राम पंचायत की भूमिका

- वर्ष में कम से कम दो ग्राम सभा की खुली बैठक आयोजित करना।
- सामुदायिक आवश्यकताओं पर आधारित नियोजन और सेवाओं का प्रबन्धन गांव स्तरीय कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर करना।
- पंचायत घर के बाहर गांव सम्बन्धी महत्वपूर्ण आंकड़ों को प्रदर्शित करना।
- गांव के विकास के लिये कम समय व लम्बे समय के लक्ष्य निर्धारित करना।
- सहभागी विकास एवं पारदर्शिता को सुनिश्चित करना।
- सभी जन्म, मृत्यु व विवाह का पंजीकरण।
- गांव के विकास हेतु विभिन्न कार्यक्रमों को लागू करना।
- लोगों में, विशेषरूप से महिलाओं में, उनके सामाजिक, कानूनी तथा संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा करना।

विभागीय वेब साइट

विभाग द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर तैयार 'राष्ट्रीय पंचायत पोर्टल' के अनुरूप 'राज्य पंचायत पोर्टल' / वेब साइट तैयार की गई है जिसमें विभाग की प्रमुख गतिविधियों एवं कार्यक्रमों को दर्शाया गया है। इसे http://panchayat.nic.in/uttar pradesh पर देखा जा सकता है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रविधानो के अनुसार विभागीय मैनुअल, नागरिक चार्टर एवं अन्य महत्वपूर्ण सूचनायें आम जनता के उपयोगार्थ विभागीय वेब साइट पर दी गयी है।

ग्राम पंचायतों की समितियां एवं उनके कार्य

क्र.सं.	समिति	गठन	कार्य
1.	नियोजन एवं विकास समिति	सभापति–प्रधान, छः अन्य सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला एवं पिछड़े वर्ग का एक–एक सदस्य अनिवार्य	ग्राम पंचायत की योजना का निर्माण करना, कृषि, पशुपालन और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का संचालन करना
2.	निर्माण कार्य समिति	सभापति – ग्राम पंचायत द्वारा नामित सदस्य, छः अन्य सदस्य (आरक्षण उपर्युक्त की भाँति)	समस्त निर्माण कार्य करना तथा गुणवत्ता सुनिश्चित करना
3.	शिक्षा समिति	सभापति – प्रधान, छः अन्य सदस्य, आरक्षण उपर्युक्त की भाँति, प्रधानाध्यापक सहयोजित, अभिवाहक–सहयोजित	प्राथमिक शिक्षा, उच्च प्राथमिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा तथा साक्षरता आदि सम्बन्धी कार्य
4.	प्रशासनिक समिति	सभापति–प्रधान, छः अन्य सदस्य (आरक्षण उपर्युक्त की भाँति)	कमियों/खामियों सम्बन्धी प्रत्येक कार्य
5.	स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति	सभापति – ग्राम पंचायत द्वारा नामित सदस्य, छः अन्य सदस्य (आरक्षण पूर्ववत)	चिकित्सा स्वास्थ्य, परिवार कल्याण सम्बन्धी कार्य और समाज कल्याण योजनाओं का संचालन, अनुसूचित जाति/जनजाति तथा पिछड़े वर्ग की उन्नति एवं संरक्षण
6.	जल प्रबन्धन समिति	सभापति – ग्राम पंचायत द्वारा नामित, छः अन्य सदस्य (आरक्षण उपर्युक्त की भाँति) प्रत्येक राजकीय नलकूप के कमाण्ड एरिया में से उपभोक्ता सहयोजित	राजकीय नलकूपों का संचालन पेयजल सम्बन्धी कार्य

ग्राम पंचायतों की समितियाँ

ग्राम पंचायत एवं ग्राम सभा की संरचना

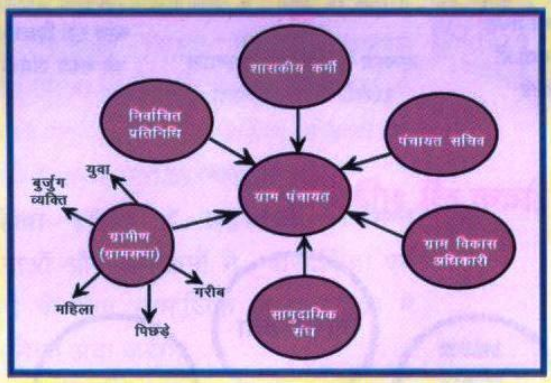

ग्राम पंचायत के आय के स्रोत

- भू–राजस्व की धनराशि के अनुसार 25 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक पचायत कर।
- प्रान्तीय सरकार अथवा स्थानीय अधिकारियों द्वारा अनुदान।
- मनोरंजन कर।
- गाँव के मेले, बाजारों आदि पर कर।
- पशुओं तथा वाहनों आदि पर कर।
- मछली तालाब से प्राप्त आय।
- नालियों, सड़कों की सफाई तथा रोशनी के लिए कर।
- कूड़ा–करकट तथा मृत पशुओं की बिक्री से आय।
- व्यापार तथा रोजगार कर।
- सम्पत्ति के क्रय–विक्रय पर कर।
- पशुओं का रजिस्ट्रेशन फीस।
- दुग्ध उत्पादन कर आदि।

ग्राम प्रधान की भूमिका

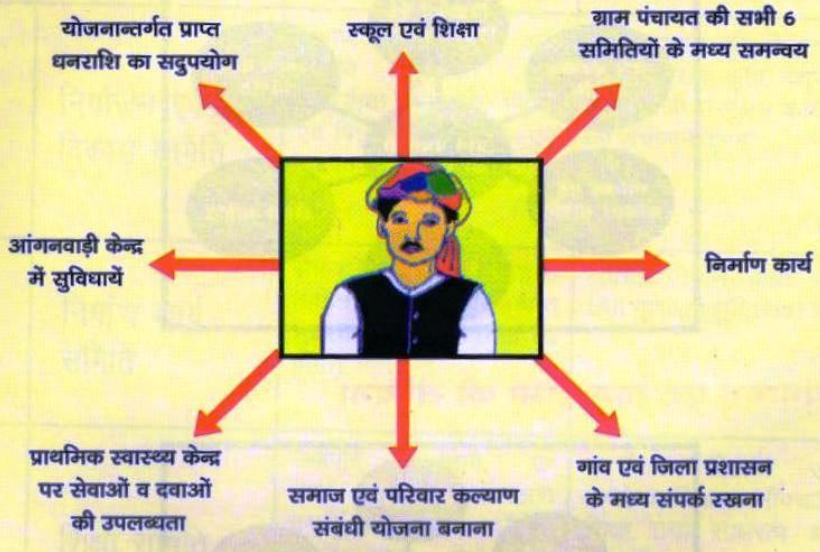

भारत निर्माण सेवक की भूमिका

भारत निर्माण सेवकों की भूमिका

1. **जागरूकता उत्पन्न करना–** वे ग्रामीण परिवारों के सदस्यों को ग्राम सभा की कार्यवाही के तहत उनकी हकदारी, भूमिका तथा जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी देंगे। इसके अतिरिक्त लोगों को बड़ी मात्रा में ग्राम सभा में भाग लेने के लिए प्रेरित करेंगे।

2. **लोगों की सहभागिता को बढ़ाना–** भारत निर्माण सेवकों द्वारा लोगों की सहभागिता को ग्राम सभा में बढ़ाया जाएगा, साथ ही ग्राम सभा के आयोजन एवं ग्रामीण परिवारों की आवश्यकताओं का पता लगाने एवं उन्हें आपसी सहमति के आधार पर पूरा किए जाने में भी सहयोग प्रदान करेंगे।
3. **विभिन्न कार्यकम एवं योजनाओं के सेवक/सेवा प्रदाता–** ग्राम स्तर पर बहुसंख्य जनसंख्या को समुचित सेवा प्रदान करना संभव नहीं हैं। अतः ये सेवक विभिन्न ग्राम पंचायतों, लाइन विभागों, प्रखण्ड अधिकारियों और जिला कलक्टरों के लिए अभिकर्ता के रूप में कार्य करेंगे तथा उनसे जुड़े ग्रामीण परिवारों को सेवा प्रदान करने में अहम् भूमिका निभाएंगें।
4. **सामाजिक लेखा–परीक्षा में सहयोगी–** विभिन्न सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों में पारदर्शिता एवं जवाबदेही लाने के लिए सामाजिक लेखा–परीक्षा में सहयोगी की भूमिका अदा करेंगे।
5. **सलाहकार–** भारत निर्माण सेवकों को विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान की जाएगी, जिसका प्रयोग वह ग्रामीणों को सलाहकार के रूप में जानकारी देकर प्रदान करेंगे।
6. **ग्रामीण संवाददाता एवं शिकायतों के निराकरण में भूमिका–** सरकारी कार्यक्रमों के मुख्य संदेशों की जानकारी के लिए ग्रामीण संवाददाता के रूप में वह कार्य करेगा एवं सरकारी कार्यालयों एवं ग्रामीण परिवारों के साथ समन्वय स्थापित कर शिकायतों के निराकरण में योगदान देगा।
7. **आंकड़ा प्रविष्टि–** गांवों में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत कार्यो के बारे में जानकारी एकत्र कर, कार्यक्रम के एम.आई.एस. में आंकड़ा प्रविष्टि को सुविधापूर्ण बनानें हेतु सहयोग करेगा।

भारत निर्माण सेवक ग्रामीणों को ग्राम सभा के आयोजन से लेकर ग्राम सभा की कार्यवाही एवं उसके प्रत्याशित परिणामों तक में अपनी सकारात्मक भूमिका निभाएंगे।

भारत निर्माण सेवक – सामाजिक दायित्व

पहल हेतु प्रेरित करना

पहल को महत्व देना

पहल को पहचान देना

पहल को प्राथमिकता देना

पहल का समर्थन

पहल को प्रोत्साहन देना

पहल में भागीदार होना

पहल का कार्यान्वयन कराना

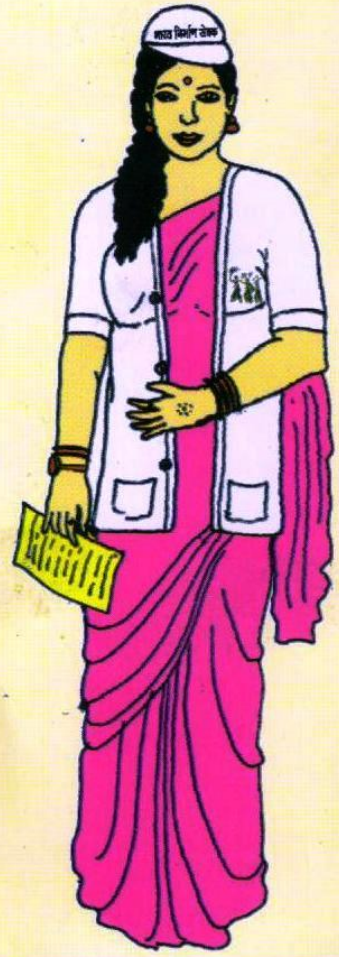

दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, उ0 प्र0
जनसहभागिता, पारदर्शिता एवं जवाबदेही केन्द्र
बख्शी का तालाब, इन्दौराबाग, लखनऊ – 226202
के द्वारा प्रकाशित एवं प्रसारित
दूरभाष : 05212-298291, 298292 फैक्स – 05212-298209
E-mail: sirdup2005@rediffmail.com
Website : www.sirdup.in

मुद्रक-पंचायत उद्योग-सरोजनी नगर, लखनऊ